कार्यालय– मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर–प्रथम

क्रमांक – 537 दिनांक– 02/03/2024

आदेश

इस कार्यालय के आदेश **क्रमांक 448 दिनांक 21.02.2024** के द्वारा **माह मार्च, 2024** में **दिनांक 03.03.2024** को राजकीय अवकाश के दिन **जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र** की सीमा में **जयपुर व बस्सी मुख्यालय** पर उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्यो **(जिनमें जमानत, रिमाण्ड, 164 दं.प्र.सं. के बयान, मृत्युकालिक कथन तथा धारा 176 दं.प्र.सं., 1973 के तहत जांच एवं मृत्युकालीन समीक्षा संबंधी कार्य करने व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे)** से संबंधित मामलों की सुनवायी करने हेतु जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र स्थित न्यायालय, विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम–13, जयपुर महानगर प्रथम के पीठासीन अधिकारी को अधिकृत किया गया था।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक Estt.(RJS)/18/2024 दिनांक 20.02.2024 द्वारा उक्त पीठासीन अधिकारी को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित System Assistant, 2023 परीक्षा में संबंधित दिनांक को ड्यूटी देने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त आदेश को इस आदेश की सीमा तक अतिलंघित करते हुये **माह मार्च, 2024** में **दिनांक 03.03.2024** को राजकीय अवकाश के दिन आवश्यक फौजदारी कार्य करने हेतु **न्यायालय, महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम–12, जयपुर महानगर प्रथम के पीठासीन अधिकारी सुश्री ऐश्वर्या एस. अग्रवाल, आर.जे.एस. (मो. नं. 94253–06423)** को अधिकृत किया जाता है।

–sd–
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट
जयपुर महानगर–प्रथम

क्रमांक – 538 to 545 दिनांक– 02/03/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :–

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर महानगर–प्रथम को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि यदि संबंधित पीठासीन अधिकारी की उक्त अवकश की मुख्यालय स्वीकृत की गयी हो तो कृपया उसे निरस्त करने की कृपा करें।
2. विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम–13 / महानगर मजिस्ट्रेट क्रम–12, जयपुर महानगर प्रथम।
3. सहायक निदेशक, अभियोजन, जयपुर महानगर प्रथम।
4. दी बार एसोसिएशन, बनीपार्क / कलेक्ट्रेट, जयपुर महानगर।
5. पुलिस कन्ट्रोल रूम, जयपुर महानगर को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित किया जावे।
6. आदेश पत्रावली।
7. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश से संबंधित अधिकारीगण / कर्मचारीगण / पुलिस विभाग के अधिकारीगण / समस्त आरक्षी केन्द्र, जयपुर महानगर प्रथम आदि को ई–मेल / मैसेज के द्वारा ड्यूटी के संबंध में सूचित कर इस कार्यालय को सूचित करें।
8. वरिष्ठ मुंसरिम, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–प्रथम।

मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट
जयपुर महानगर–प्रथम